न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 04 / 2023

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर।

प्रार्थी,

बनाम

1. श्री हरीराम साहू पुत्र श्री मदनलाल साहू,मैसर्स मदनलाल हरीराम, बस स्टैण्ड के सामने,किशनगढ़, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर

अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।)(V), धारा 51 के तहत

उपस्थित : अभिभाषक अप्रार्थी श्री बी एस शेखावत

— :: आदेश ::—

दिनांक 18.06.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक / क–4 / 08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुंख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्र्ड मावा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (।।) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद , बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

कार्यालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 17.10.2022 को दोपहर 03 बजे बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स मदनलाल हरीराम, बस स्टैण्ड के सामने, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर पर पहुँचे। श्री हरी राम साहू पुत्र श्री मदन लाल साहू जाति साहू विक्रेता मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता द्वारा लगभग 40 किलोग्राम मावा डीप फ्रिजर मे विक्रय हेतु रखा गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता में कमी का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 01 किलोग्राम मावा वास्ते नमूना जॉच हेतु 320.रूपयें श्री दिलीप कुमार को नगद देकर गवाहन श्री मुकेश कुमार वैष्णव तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तेयार कर, इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री हरीराम साहू को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा मावा को एक रूप कर चार खाली बोतलो मे बराबर बराबर डालने एवं प्रत्येक बोतल मे परिरक्षक फार्मलीन की 20–20 बून्द डालकर बोतलों को ढक्खन लगाकर बंद करने व लेबल पर डीओ के कोड कमांक ए 3449 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तेयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर ,खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउडर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र कमांक एफएसएसए/2022/11180 दिनांक 25.11.2022 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1219/एक्ट/2022/1080 दिंनाक 22.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया मावा सबस्टेण्र्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 16.01.2023 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 16.01.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री हरीराम साहू को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 29.03.2023 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। पेशी दिनांक 24.04.2024 को अप्रार्थी की ओर से उनके वकील श्री बी एस शेखावत ने वकालतनामा पेश किया।

नियत पेशी दिनांक 18.06.2025 को अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्री एस शेखावत उपस्थित हुये। उन्हें अप्रार्थी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया गया तथा बहस सुनी गयी। अप्रार्थी अभिभाषक ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि भविष्य में इस तरह की कोई गलती नही की जायेगी। उस पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाये।

चूकिं परिवाद में अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा कार्यालय हाजा मे उपस्थिति होकर अप्रार्थी का जुर्म कबूल किया तथा लिखित में कोई जवाब प्रस्तुत नही किया एवं न्यूनतम शास्ति लगाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा जूर्म कबूल कर लिये जाने के

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी * अजमेर *

फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहन को साक्ष्य हेतु बूलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया मावा सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री हरीराम साहू द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री हरीराम साहू को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। क्योकि प्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावर्ति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त हरीराम साहू को 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपयें मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है।

अभियुक्त उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई–ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 18.06.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय अलग से लिखाया जाकर आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।

3– सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमे

4– श्री हरीराम साहू पुत्र श्री मदनलाल साहू, मैसर्स मदनलाल हरीराम, बस स्टैण्ड के सामने, किशनगढ़, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर